न्यायालय–महेश प्रसाद सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, बेगूसराय।

एन0 डी0 पी0 एस0 वाद संख्या–71/2024

विहार राज्य बनाम पुलिस तॉती एवं

02-04-2025 काराधीन आवेदक/अभियुक्त राजा तॉती, पेसर–उचित तॉती, जो खोदाबन्दपुर थाना काण्ड सं0–165/2024 से संबंधित एन0 डी0 पी0 एस0 वाद सं0–71/2024 (अन्तर्गत धारा 20(b)(ii)(c), 29 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट) में दिनांक 24.12.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को सुना।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन प्रचालित करते हुये निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 24.12.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उसे इस वाद में मिथ्या फंसाया गया है। जब्ती सूची विधितः नहीं बनाई गई है। जब्त वस्तु का जॉच नहीं कराया गया है। आवेदक के सचेतन आधिपत्य से कुछ बरामद नहीं हुआ है। आवेदक गरीब आदमी है। इन कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त अवैध गांजा का व्यवसाय करने वाला सिंडीकेट का सदस्य है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जा से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है एवं वाद दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान वाद पु0 अ0 नि0 सह थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के लिखित आवेदन पर धारा 20(b)(ii)(c), 29 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया हैं, जिसमें उल्लिखित है कि दिनांक 23.12.2024 को मिली गुप्ता सूचना के आधार पर सूचक थाना के अन्य पुलिस बल के साथ धरमगाछी मेघोल के पास रोसड़ा से आने वाली वाहन की चेकिंग किये एवं इस क्रम में एक डस्टर उजला रंगी की गाड़ी पंजियन सं0–BR44E-0001 को रोका गया तथा उस पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछे तो उस पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पुलिस तॉती, मनोज तॉती एवं राजा तॉती बताये, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया एवं उनकी विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से मोबाईल एवं रुपया तथा कथित वाहन से कुल 105.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया तथा मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात बरामद सभी सामाग्री की विधिवत जब्ती सूची बनाई गई।

... की विधिवत जब्ती सूची बनाई गई। ... नहीं किया गया। तत्पश्चात बरामद सभी

न्यायालय–महेश प्रसाद सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, बेगूसराय।

एन0 डी0 पी0 एस0 वाद संख्या–71 / 2024

बिहार राज्य बनाम पुलिस तॉती एवं

Continue
02-04-2025

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखने से प्रतीत होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर है एवं उनके द्वारा परिवहन कर रहे वाहन से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया है एवं आवेदक / अभियुक्त अवैध गांजा का व्यवसाय करने वाले सिंडीकेट का सदस्य प्रतीत होता है एवं वाद दैनिकी में आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट,
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय।